

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(3)/

310

/अनि०स्था०/2022-23

दिनांक: 10 जुलाई 2022

विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोकसेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 एवं धारा-10 तथा शासनादेश सं०-30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश सं०-124/XXX-2/22-30 (13)2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रू० 44900-142400, लेवल-07) को उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आशुतोष प्रसाद सेमवाल	का०जि०शि०अ०मा०शि० देहरादून।	रा०इ०का० सावड़ा, देहरादून।	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
2	श्री प्रमोद पाण्डे	का०जि०शि०अ०मा०शि० उधम सिंह नगर।	रा०इ०का० बग्घा, उ०सि०न०।	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
3	श्री कमल चौधरी	रा०इ०का० कोटाबाग, नैनीताल।	का०उ०शि०अ० ओखलाकाण्डा, नैनीताल।	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
4	श्रीमती उषा चमोली	का०उ०शि०अ० लक्सर, हरिद्वार।	रा०इ०का० थातीघनारी, उत्तरकाशी।	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
5	श्री गगन प्रकाश	रा०इ०का० कलरौं, अल्मोड़ा।	का०उ०शि०अ० द्वाराहाट अल्मोड़ा।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
6	श्री हरिमोहन अवस्थी	रा०इ०का० शीतलाखेत, अल्मोड़ा।	का०उ०शि०अ० गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
7	श्रीमती बबीता रावत	रा०इ०का० बछेर, चमोली।	रा०इ०का० माणा धिंघराणा, चमोली।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
8	श्री प्रकाश खुल्वे	रा०बा०इ०का० चौखुटिया, अल्मोड़ा।	का०उ०शि०अ० सल्ट अल्मोड़ा।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
9	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	रा०इ०का० सांकरसैण, पौड़ी।	का०जि०शि० एवं प्रशि० संस्थान चडीगांव, पौड़ी।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।





3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

10.07.22
(एस0पी0 खाली)
अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
/अनि0स्था0/2022-23 तद्दिनांक।

पू0सं0/सेवायें-3(3)/ 6355-6368

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड।
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

10/7/2022
(एम0एस0 बिष्ट)

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड